न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
उनवान देवीसहाय बनाम गिर्राज वगै0

वाद संख्या–148/2016

दिनांक निर्णय–30.01.2018

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा वादी देवीसहाय पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी अगावली तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 07.09.16 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार वाके ग्राम अगावली तह0 बसवा में स्थित भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 19 के ख0 नं0 216 रकबा 0.21 है0 चाही एक, जाव एक, ख0 नं0 299 रकबा 0.32 है0 चाही एक, ख0 नं0 365 रकबा 0.06 है0 बारानी एक, ख0 नं0 366 रकबा 0.24 है0 चाही एक, ख0 नं0 367 रकबा 0.72 है0 चाही एक, ख0 नं0 368 रकबा 0.13 है0 बारानी एक, ख0 नं0 369 रकबा 0.93 है0 जाव एक, चाही एक, ख0 नं0 370 रकबा 0.07 है0 बारानी एक कुल किता 8 रकबा 2.68 है0 लगानी 97 रूपये 83 पैस स्थित है। जिसमें वादी 1/3 व प्रतिवादी संख्या एक हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या दो 1/3 का हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है वादी व प्रतिवादी नम्बर एक व दो मौके पर बाहमी तकास्मा से काबिज है।

उक्त वाद पत्र के पैरा नम्बर एक में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो की संयुक्त खातेदारी व सयुक्त कब्जे की कृषि भूमि है और संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे की भूमि पर सभी खातेदारी का प्रत्येक इंच भू भाग पर कब्ज माना [illegible] है।

कानूनन विधिवत तकास्मा कराये बिना प्रतिवादी नम्बर एक के उक्त वाद पत्र के पैरा नम्बर एक में वर्णित भूमि ख0 नं0 365 ला0 370 के सम्पूर्ण रकबा 2.15 है0 में से अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की विक्रय करने का कोई अधिकार नही था किन्तू प्रतिवादी संख्या एक ने बिना विधिवत तकास्मा कराये बिना उक्त भूमि के 1/3 हिस्से का विक्रय पत्र दिनांक 22.08.2016 को प्रतिवादी संख्या तीन के नाम तस्दीक करवा दिया उक्त

30/01/18
उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

विक्रय पत्र बमुकाबिले वादी अवैध अमान्य व प्रभाव शून्य है और ऐसे अवैध अमान्य, प्रभाव शून्य, विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या तीन को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है।

वाके ग्राम अगावली तह0 बसवा में स्थित भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 19 के ख0 नं0 216 रकबा 0.21 है0 चाही एक, जाव एक, ख0 नं0 299 रकबा 0.32 है0 चाही एक, ख0 नं0 365 रकबा 0.06 है0 बारानी एक, ख0 नं0 366 रकबा 0.24 है0 चाही एक, ख0 नं0 367 रकबा 0.72 है0 चाही एक, ख0 नं0 368 रकबा 0.13 है0 बारानी एक, ख0 नं0 369 रकबा 0.93 है0 जाव एक, चाही एक, ख0 नं0 370 रकबा 0.07 है0 बारानी एक कुल किता 8 रकबा 2.68 है0 लगानी 97 रूपये 83 पैस का वादी का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सरस नरस के अनुसार रास्ता आदि को देखते हुए तकास्मा फरमाकर लगान अलग अलग कायम करने की कृपा करें।

वाद पत्र के पैरा नम्बर एक में वर्णित भूमि काश्त स्थित रामा अगावली के ख0 नं0 216, 219, 365 ला0 370 कुल किता 8 कुल रकबा 2.68 है0 के वादी के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या एक ला0 तीन स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालों या अन्य मददगारान जब तक विधिवत तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से, खाम या पुख्ता निर्माण आदि न करे, न भूमि का किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प 2017 करनावर में पेश हुई। पक्षकारान को सुनवाई हेतु बुलाया गया। पक्षकारान उपस्थित हुए। लोक अदालत के दौरान सुनवाई की गई। दोनो पक्षकारान बाद सुनवाई व समझाईश से बंटवारा राजी खुशी कराने के लिए तैयार हुए। अतः पक्षकारान व उनके अभिभाषको को सुनने एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी प्राथमिक रुप डिक्री किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम अगावली तह0 बसवा के आ0 ख0 नं0 216, 299, 365 से 370 कुल किता 8 कुल रकबा 2.68 है0 वाके रामा अगावली तहसील बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश दिये परन्तु इसी बीच एक प्रार्थना पत्र आदेश 1

30/01/18

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

नियम 10 जा0 दी0 का मीरा पत्नि कजोडमल मीना एवं राजबाला पत्नि माधोसिंह मीना निवासी थमावली तह0 राजगढ ने पेश किया जिसमें विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा बनवारीलाल पुत्र प्रभूदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी अगावली तह0 बसवा का स्वयं का हिस्से से इन्हे दिनांक 08.09.16 को विकय कर दिया है। हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कुर्रेजात मे बनवारीलाल के स्थान पर 1/3 हिस्सा केता गण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में विकय पत्र अनुसार अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

अतः तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात में विवादित भूमि में विकय पत्र अनुसार विकेता के स्थान पर केता का हिस्सा अंकित करते हुए विभाजन किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
गिर्राज पि0 प्रभूदयाल कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	मि0 1/216	0.17
	किता 1	0.17 है0
देवीसहाय पि0 प्रभूदयाल कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	365	0.06
	366	0.24
	370	0.07
	मि0 2/299	0.19
	मि0 2/367	0.07
	मि0 1/369	0.26
	किता 6	0.89 है0
बनवारीलाल पि0 प्रभूदयाल कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार मुताबिक विकय पत्र श्रीमती मीरा देवी पत्नि कजोडमल मीना एवं श्रीमती राजबाला पत्नी माधोसिंह मीना निवासी थमावली के हिस्सा अनुसार	मि0 1/299	0.13
	मि0 2/216	0.04
	मि0 1/368	0.08
	मि0 1/367	0.65
	किता 4	0.90 है0
कैलाशी देवी धर्म पत्नि छुट्टनलाल जाति मीना सा0 देह नि0 थमावली तह0 राजगढ जि0 अलवर	मि0 2/368	0.05
	मि0 2/369	0.67
	किता 2	0.72 है0

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

माधोसिंह

प्राप्त कुर्रेजात पर प्रतिवादी नं0 एक गिर्राज व दो बनवारीलाल द्वारा एतराज किया। अतः प्राप्त कुरेजात पर बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया जा कर गुणावगुण के आधार पर मनन किया जा कर एतराज पर सुनवाई की गई। एतराज का कोई औचित्य नही होना जाहिर आया क्योंकि बनवारीलाल अपने हिस्से की भूमि का हिस्सा 1/3 मे से भूमि विक्रय कर चुका है। अतः कुर्रेजात के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिकी किया जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से मे आये ख0 नं0 पर किसी प्रकार का कोई दखल एक दुसरे को नही देगा। अंतिम डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जा कर आज दिनांक 30.01.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया।

30/01/18

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

"दावा उद्घोषणा, तकासमा ...